

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा।

अनुमति वाद संख्या 48/2018-19

आदेश

आवेदक श्री पुतूल उरांव वो बंधना उरांव पिता स्व० सोमरा उरांव साकिन कुटमू चिगला टोली थाना लोहरदगा जिला-लोहरदगा के द्वारा सी०एन०टी०एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा कुटमू के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता संख्या	प्लॉट सं०	रकबा ए० में
कुटमू	लोहरदगा	141	33	827	0.1835


जमीन विक्रेता की विवरणी

नाम :- श्री पुतूल उरांव वो बंधना उरांव
पिता/पति का नाम :- स्व० सोमरा उरांव
पता :- कुटमू चिगला टोली
पहचान संख्या :- आधार न० -832453102936, 751999671696

जमीन केता की विवरणी

नाम :- श्रीमती समाजी देवी
पिता/पति का नाम :- परमेश्वर मिस्त्री
पता :- हेसल
पहचान संख्या :- आधार न० -388500345437

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुये संबंधित मौजा के नाम आम ईशितहार नोटिस जारी किया गया कि उक्त जमीन श्रीमती समाजी देवी पति परमेश्वर मिस्त्री ग्राम- हेसल थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा के साथ बिक्री करने के विरुद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुये अंचल अधिकारी, लोहरदगा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नहीं हुआ।




अंचल अधिकारी लोहरदगा ने अपना पत्रांक 815 दिनांक 24.05.2018 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी लोहरदगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा 2875 रु अमान है। जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता नं 26915 ए0 जमीन बचता है तथा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि शपथ पत्र संख्या 3988 दिनांक 05.05.2018 के द्वारा उक्त भूमि आवेदक के हिस्से में है एवं दखल कब्जा में है। आवेदक मकान बनाने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। सरकारी रसीद चरवा उरांव वो हुसरू उरांव वो ठकुरी उरांव पिता झरी उरांव के नाम से कटती है। विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना-लोहरदगा के निवासी है। जमीन का श्रेणी दो।।। है।

इस काम में आवेदक एवं इनके दोनो भाईयों का भी ब्यान लिया गया। आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा कुटमू के अन्तर्गत खाता नं0 33 प्लॉट नं0 827 में से रकबा 0.1835 ए0 जमीन को श्रीमती समाजी देवी पति परमेश्वर मिस्त्री ग्राम-हेसल थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा के साथ जमीन बिक्री कर रहे है। आवेदक मकान बनाने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। सरकारी रसीद चरवा उरांव वो हुसरू उरांव वो ठकुरी उरांव पिता झरी उरांव के नाम से कटती है। जमीन आवेदक के दखल कब्जा में है। जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नहीं है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान तथा अंचल अधिकारी, लोहरदगा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार मौजा कुटमू के अन्तर्गत खाता नं0 33 प्लॉट नं0 827 में से रकबा 0.1835 ए0 जमीन को श्रीमती समाजी देवी पति परमेश्वर मिस्त्री ग्राम- हेसल थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा के साथ सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत उनके निजी दायित्व पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लोहरदगा एवं आवेदक को दी जाय।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
लोहरदगा।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 138 / दिनांक 25.5.2018

प्रतिलिपि: जिला अवर निबंधक, लोहरदगा / श्री पुतूल उरांव वो बंधना उरांव पिता स्व0 सोमरा उरांव साकिन कुटमू चिगला टोली थाना लोहरदगा जिला-लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
लोहरदगा।